फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्रीमती जमनादेवी — विपक्षी : श्रीमती कमलीबाई

किस्म मुकदमा – 212 रा0का0अ0 — पत्रावली संख्या : 119/21

जीसीएमएस : 2021/520

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक :– 18.08.2025 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीया उपस्थित। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थीया को पर्याप्त अवसर दिया जाने के बाद भी विपक्षीगण के नोटिस रजिस्टर्ड एडी से करा प्रस्तुत नहीं किये हैं। अधिवक्ता प्रार्थीया द्वारा समय पर न्यायालय आदेशानुसार तामीले प्रस्तुत नहीं करना यह अपने आप में प्रार्थीया का इस प्रार्थना पत्र के प्रति अरूचि को दर्शाता हैं। इस सम्बन्ध में सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 नियम 5 जा.दी. में स्पष्ट उल्लेख है कि **"जहां वादी, सम्मन तामील के बिना लौटाने के पश्चात् 7 दिन तक नये सम्मन के लिए आवेदन करने में असफल रहता हैं, वहां वाद का खारिज किया जाना"** इससे स्पष्ट है कि प्रकरण में भी प्रार्थीया को दिनांक 13.12.2021 से नोटिस प्रस्तुत करने हेतु आदेश दिया गया जिसे लगभग 4 वर्ष का समय व्यतीत हो चुका हैं। उसके पश्चात् भी प्रार्थीया नोटिस प्रस्तुत करने में असमर्थ रही हैं। प्रकरण में वारिस कायमी भी करवाई जानी थी जो भी नहीं करवाई गई। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि अधिवक्ता प्रार्थीया एवं स्वयं प्रार्थीया अपने प्रकरण को चलाने में कोई रूचि नहीं रखते हैं। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अन्तर्गत आदेश 9 नियम 5 जा.दी. के तहत् इसी स्तर पर खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया। **(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)** **सहायक कलक्टर** **(SDO) मावली**	

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 17:00:49 IST
Reason: SelfAttested